भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

05.12.2013 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 6.

केरल में दुर्लभ खनिजों का अवैध खनन

6. श्री के. एन. बालगोपाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल्लम और एलिप्पी जिलों में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भण्डार का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल में दुर्लभ खनिजों की भारी पैमाने पर हो रही तस्करी/अवैध खनन पर ध्यान दिया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की कोल्लम और एल्लिपी जिलों में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भण्डार का सदुपयोग करने हेतु क्या-क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय

(श्री वी. नारायणसामी)

(क) जी, हाँ। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, ने कोल्लम और केरल के एल्लिपी जिलों में 0.98 मिलियन टन के बराबर विरल मृदा के *स्व-स्थाने* निक्षेपों का आकलन किया है।

(ख) सरकार को केरल में विरल मृदा की भारी पैमाने पर हो रही तस्करी/अवैध खनन के मामले में कोई सरकारी रिपोर्ट अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पिछले कुछ समय में ही, इस मामले में प्रैस की कुछ रिपोर्टें और अन्य सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का यूनिट) का चवारा (केरल) में एक संयंत्र है जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष दो लाख टन पुलिन बालू खनिजों को संसाधित करने की है। इस संयंत्र का उपयोग अन्य संबद्ध खनिजों के साथ-साथ विरल मृदा के पृथक्करण के लिए किया जाता है।

* * * * * * *